प्र.सं. 67/2017 श्रीमती गंगादेवी बनाम शिवलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भाहर पटवार हल्का भाह तहसील गिर्वा में परिशिश्ट "क" की आराजी नंबर 1022 से 1024 कुल किता 3 रकबा 0.2150 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 2/9 हिस्सा से दर्ज है, जिसके साबिक आराजी नंबर 2638/1890 हैं, जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय किये जाने से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर नामान्तरित हुई है। इसी तरह परिशिश्ट "ख" आराजी नंबर 1027 रकबा 0.1500 हैक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज है, जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय किये जाने से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूश हेमाजी थे, जिसके तीन पुत्र पेमा, चुन्नीलाल व नाथु हुए। वादीगण चुन्नीलाल के पुत्र होकर परिशिश्ट "क" आराजियात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा एवं परिशिश्ट "ख" आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है, किन्तु वादीग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज होने से उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया गया है, जो वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव भाून्य है। अत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर परिशिश्ट "क" की आराजियात में वादीगण प्रत्येक का 4/45 हिस्से का तथा परिशिश्ट "ख" की आराजी में वादीगण प्रत्येक को 4/5 हिस्से का खातेदार घोशित किया जाकर स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 6 तनकियां कायम की जाकर अपने निर्णय दिनांक 25.01.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.06.2017 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री मनीश भार्मा उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 6 की ओर से नगर विकास प्रन्यास के अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:38 IST
Reason: SelfAttested

कमले ा चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया कृशक होकर कटाई के काम में लग जाने से अपील प्रस्तुत नहीं कर सकी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि हेमा की मृत्यु के समय वादीगण का जन्म ही नहीं हुआ था, जब दादा की मृत्यु के समय पोतों का जन्म ही नहीं हुआ तो भूमि मौरूशी कैसे हो सकती है। उक्त वाद रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 व 5 के बीच दुर्भिसंधि से प्रस्तुत किया गया है, जिससे पुत्रों द्वारा अपने पिता को प्रतिवादी बनाकर वाद पे ा किया है, जो जानबूझकर अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में दुर्भिसंधि से प्राप्त डिक्री न्याय की दृश्टि से भून्य है। विवादित आराजियात पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा ऐसी स्थिति में उन्हें दावा लाने का ही अधिकार नहीं था, जैसाकि आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 1170 में माननीय राजस्व मण्डल ने निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा प्राप्त प्रतिफल से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 ने नई कृशि भूमि नया तालाब तितरड़ी में क्रय की, जहां भूमि को कृशि योग्य बनाकर दो ट्यूबवेल लगवाये हैं। रेस्पोन्डेन्टगण आज भी वहां कमा खा रहे हैं। जो सम्पत्ति पिता द्वारा अपने परिवार के लालन–पालन के लिए खर्च की जा चुकी है, उस पर मारूसी नहीं लगती। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आयी साक्ष्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभ[illegible] अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को [illegible] विवादित भूमि विरासत से चुन्नील[illegible] है, जिससे चुन्नीलाल के प्रत्येक पुत्रों का समान हक अधिक[illegible] है। अधिनस्थ न्यायालय ने

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:38 IST
Reason: Self Attested

विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पर दिनांक 19.12.2003 से वादीगण के पिता चुन्नीलाल प्रतिवादी संख्या 1 भूमि क्रय की है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने आपको बोनाफाईड परचेजर बताते हुए चुन्नीलाल जी के खाते की अन्य आराजियात की नकल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी चाहे तो चुन्नीलाल की अन्य भूमियों से हिस्सा प्राप्त कर सकता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं चुन्नीलाल द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये विक्रय को सिर्फ चुन्नीलाल के हिस्से तक सही मानते हुए भोश हिस्सा चुन्नीलाल के पुत्रों अर्थात वादीगण के खातेदारी में दर्ज करने के आदे ा दिये हैं, जबकि चुन्नीलाल की अन्य भूमियों बाबत् कोई विवेचन नहीं किया है। चुन्नीलाल के नाम दर्ज अन्य भूमियों से चुन्नीलाल का हिस्सा कम करते हुए उनके पुत्रों को दिया जा सकता था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृश्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 145/2009 निर्णय दिनांक 25.01.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन की रो ानी में उभयपक्षों को पुनः सुनकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.12.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:43:38 IST
Reason: SelfAttested

(… चौहान)
… अधिकारी
एवं … अपील अधिकारी
उदयपुर